न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील/डिक्री/टीए/5723/2003/जालोर

1. सगरामा पुत्र चमनाजी – मृतक जरिये कायममुकाम–
   1/1 चौथाराम
   1/2 गणेशाराम
   1/3 भूपाराम
   1/4 जवाहराराम
   1/5 तोलाराम
   1/6 श्रीमति सीता
   1/7 श्रीमति चूनी
   1/8 श्रीमति भीकी
   – समस्त पिसरान सगरामाजी जाति माली।
2. चौथाराम पुत्र स्व. सगरामजी जाति माली
3. सिकन्दरखां पुत्र शेरेखां जाति मुसलमान
   – समस्त निवासीयान जालौर।

–अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालौर ।
2. नगर पालिका मण्डल, जालौर।

–प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थित

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री हनुमान प्रसाद, अति राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण संख्या 1,
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण संख्या 2

निर्णय

दिनांकः–17–10–2022

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–11–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर जालौर के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 188, 92–ए के अन्तर्गत ग्राम जालौर–ए स्थित विवादित आराजी खसरा 2093 रकबा 36 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी राज्य सरकार वगैरहा के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 राज्य सरकार की ओर से जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया। कालान्तर में प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना पृथक से जवाबदावा पेश कर अंकन किया कि प्रतिवादी का विवादित आराजी पर कब्जा समर्पित होने के कारण वादीगण का वाद सारहीन होने के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 27–5–1996 को अनुतोष सहित 5 विवाद्यक कायम किए। इसी तरह कालान्तर में विचारण न्यायालय ने उक्त वाद की कार्यवाही में 2 अतिरिक्त विवाद्यक कायम किए। उक्त वाद के विचारण की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23–3–2002 को पेश कर वादीगण के वाद को खारिज किए जाने बाबत पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर उपलब्ध रेकार्ड के आधार निर्णय व डिक्री दिनांक 30–3–2002 पारित कर वादीगण के वाद को चलने योग्य नहीं होने से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प–जालौर के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने उक्त अपील में उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 12–11–2003 पारित कर आलोच्य अपील को खारिज कर तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादग्रस्त आराजी के नगरीय क्षेत्र में होने का कयास इस आधार पर नहीं लगाया जा सकता कि उक्त आराजीयात आबादी के रूप में उपयोग हो रही हो। उनका कहना है कि उक्त भूमि पर वादीगण द्वारा समस्त आराजीयात पर खेती का कार्य किया जा रहा है तब अधीनस्थ न्यायालय को समस्त तनकियातों को निर्णित करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण करना चाहिये था। उनका कहना है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि स्वयं नगर पालिका ने जब अपना वादोत्तर पेश किया तब स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 21-03-1994 में आबादी होने के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई तब ऐसी स्थिति में 90-बी की कार्यवाही मात्र सक्षम न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत की जा सकती थी न कि दावे की कार्यवाही के अन्दर। उक्त तथ्यों को इग्नोर करते हुए निर्णय पारित किया गया है, जो कि काबिल निरस्तनीय है। उनका आगे कहना है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि यदि 90-बी की कार्यवाही भी की जानी है तो वह भी वाद दायरी के दायर किये जाने की तिथि के पश्चातवर्ती घटना है, जो किसी भी सूरत में आबादी के अन्दर नहीं माना जा सकती। अधीनस्थ न्यायालयों का कर्त्तव्य था कि उन्हें राजस्व वाद प्रस्तुत करने की तिथि के समय की स्थिति को देखते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना चाहिये था। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण द्वितीय अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प-जालौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12-11-2003 एवं सहयक जिला कलेक्टर जालौर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 30-03-2002 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। उनका कहना है कि अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में किन्हीं नवीन तथ्यों का समावेश नहीं किया है, जिसके आधार पर मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्षो में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अन्त में उन्होंने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. इसी प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने बहस में कहा कि प्रश्नगत आराजी पर नगरपालिका जालौर की होना स्वयं वादीगण ने स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त मौखिक रूप से कृषि भूमि जनहित में नगरपालिका को काफी वर्ष पूर्व दिया जाना भी वादीगण ने स्वीकार किया है। यहीं नहीं प्रश्नगत आराजी को वापस लेने या निर्माण हटाने के तथ्य वादीगण ने प्रकट नहीं किए है। उनका आगे कहना है कि वादीगण ने नवीन तथ्यों का समावेश वाद में नहीं किया तथा वाद तथ्यों को छिपाकर पेश किया गया है। उनका तर्क है कि मौका रिपोर्ट के अनुसार आराजी पर कृषि कार्य सम्पादित नहीं किया जा रहा है। उनका तर्क है कि यदि भूमि का अकृषि हेतु उपयोग हो रहा हो एवं नगरपालिका क्षेत्र में स्थित हो तो भू राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी के प्रावधान लागू होंगे। उक्त स्थिति के परिवेश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थीगण की अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री व उपलब्ध रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

8. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं रेकार्ड के विधिक परीक्षण से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर

जालौर के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने प्रश्नगत आराजी के संबंध में अधिनियम की धारा 188 व 92–ए का एक वाद प्रतिवादी राज्य सरकार वगैरहा के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना पृथक–पृथक जवाबदावा पेश कर वादीगण के वाद को खारिज करने का निवेदन किया। उक्त वाद की विचारण की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 23–3–2002 को एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रश्नगत आराजी कृषि कार्य में उपयोग में नहीं लेने तथा आबादी क्षेत्र में निहित होने के कारण वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किए जाने के क्रम में पेश किया। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 30–3–2002 पारित कर वादीगण के वाद को खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किए जाने पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री से खारिज कर अपीलीय न्यायालय ने तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा है।

9. हमारे समक्ष उपलब्ध सम्पूर्ण पत्रावली का विधि की रोशनी में परीक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आराजी पर नगरपालिका जालौर की होना स्वयं वादीगण ने स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त मौखिक रूप से कृषि भूमि जनहित में नगरपालिका को काफी वर्ष पूर्व दिया जाना भी वादीगण ने स्वीकार किया है। यहीं नहीं प्रश्नगत आराजी को वापस लेने या निर्माण हटाने के तथ्य वादीगण ने वाद में प्रकट नहीं किए है। वादीगण ने नवीन तथ्यों का समावेश वाद में नहीं किया तथा वाद तथ्यों को छिपाकर पेश किया जाना पाया जाता है। प्रकरण में वांछित मौका रिपोर्ट के अनुसार आराजी पर कृषि कार्य सम्पादित नहीं किया जा रहा है। हमारे मतानुसार यदि भूमि का अकृषि हेतु उपयोग हो रहा हो एवं नगरपालिका क्षेत्र में स्थित हो तो ऐसी स्थिति में भू राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी के प्रावधान लागू होंगे। मामले में जिस मौका रिपोर्ट को आधारित कर न्यायालयों ने अपने निर्णय प्रदान किए है, उस मौका रिपोर्ट को अपीलार्थीगण/वादीगण ने किसी सक्षम प्राधिकारी के

समक्ष चुनौती नहीं दिए जाने की स्थिति में वह अन्तिम मानी जायेगी। जिस स्थल रिपोर्ट में आराजी पर अकृषि कार्य सम्पादित किया जाना अंकित किया गया है। यह भी स्पष्ट होता है कि उपलब्ध प्रलेखों से विवादित भूमि पर कृषि कार्य होना प्रकट नहीं होता है तथा भूमि नगरपालिका क्षेत्र में स्थित नहीं होने के क्रम में अपीलार्थीगण ने किसी प्रकार की प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की है। तदनुसार मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि समवर्ती निष्कर्षो में किसी प्रकार की त्रुटि विद्यमान नहीं है।

10. अतः हमारे समक्ष उपलब्ध समस्त रेकार्ड का विधायिका की भावना के अनुसार सम्यक परीक्षण करने पर यह न्यायालय वादीगण के वाद में किसी प्रकार का कोई सार नहीं पाता है तथा मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णय व डिक्री में किसी विधि का उल्लंघन अथवा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया जाना इंगित नहीं होता है। तदनुसार ऐसे निर्णय के विरूद्ध पेश की गई द्वितीय अपील स्वतः ही सारहीन होना प्रकट होती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में असंगत आधार अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होना प्रकट होने के कारण खारिज की जाती है। इसके साथ ही राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प–जालौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–11–2003 एवं सहायक जिला कलक्टर जालौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–3–2002 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(सी.आर.मीणा)
सदस्य